प्रथम सूचना रिपोर्ट
(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला भ्र. नि. ब्यूरो, प्रतापगढ थाना सी.पी.एस., ए.सी.बी. जयपुर वर्ष 2022
प्र.इ.रि.स 197/22 दिनांक 20/5/2022

2. (1) अधिनियम पी.सी.एक्ट – धाराएं 7 पी.सी. एक्ट संशोधन (2018)
(2) अधिनियम भा.द.स. – धाराएं –
(3) अन्य अधिनियम एवं धाराएं –

3. (1) रोजनामचा आम रपट संख्या 407 समय 6.00 P.M.
(2) अपराध के घटने का दिन गुरूवार दिनांक 19–5–2022 समय 3.00 पी.एम
(3) थाने पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 31–3–2022 समय 10.00 ए.एम.

4. सूचना की किस्म लिखित/मौखिक – लिखित

5. घटना स्थल :
(1) थाना से दिशा व दूरी – बजानिब दक्षिण दिशा, लगभग 540 किलोमीटर
(2) पता – पटवार मण्डल नागावाडा तहसील बागीदौरा जिला बांसवाडा।
.... बीट संख्या .... जरायमदेही संख्या ......
(3) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना .... जिला ....

6. परिवादी/सूचनाकर्ता –

परिवादी

(1) नाम : श्री शंकरलाल पारगी
(2) पिता का नाम : श्री गौतमलाल पारगी
(3) आयु : 32 साल
(4) राष्ट्रीयता : भारतीय
(5) पासपोर्ट संख्या .... जारी होने की तिथि .... जारी होने की जगह ....
(6) व्यवसाय : अध्यापक
(7) पता : निवासी गांव घाटीगडा, ग्राम पंचायत नागावाडा तहसील बागीदौरा जिला बांसवाडा।

7. ज्ञात/अज्ञात/ संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :
1. श्री परमेश सोलकी पिता श्री वालेग सोलंकी उम्र–27 वर्ष निवासी गांव छीचं तहसील बागीदौरा जिला बांसवाडा हाल पटवारी पटवार मण्डल नागावाडा तहसील बागीदौरा जिला बांसवाडा

8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण –

9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्ठता (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावे)

कम. सं.	सम्पत्ति का प्रकार	अनुमानित मूल्य	वस्तु स्थिति
1.	भारतीय चलन मुद्रा	28,000 रूपये	

परिवादी श्री शंकरलाल पारगी से आरोपी श्री परमेश सोलंकी पटवारी के द्वारा परिवादी की कृषि भूमि को आबादी भूमि में संम्परिवर्तित करने की एवज में परिवादी से दिनांक 19–5–2022 को 28,000 रूपये रिश्वत राशि ग्रहण किये।

10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य – 28,000 रूपये रिश्वत राशि

11. पंचनामा/यू. डी. केस संख्या (अगर हो तो)

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावे)

सेवामें,

श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदयजी,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों
प्रतापगढ़ (राज.)

विषय :– कानूनी कार्यवाही कराने बाबत्।

महादेयजी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि "मैं प्रार्थी शंरकलाल पारगी पिता श्री गौतम पारगी निवासी घाटीगडा ग्राम पंचायत नागावाडा तहसील बागीदौरा जिला बासवाडा का निवासी हूँ। मेरे गॉव घाटीगडा में स्वयं की जमीन है जिसके आबादी रूपान्तरण के लिए मेरे द्वारा आवेदन पटवार मण्डल नागावाडा के पटवारी के समक्ष प्रस्तुत किया था। लेकिन काफी समय तक मेरी जमीन का आबादी रूपान्तरण नहीं होने की वजह से मुझ प्रार्थी ने पटवारी से सम्पर्क किया तो जिससे पटवारी परमेश सोलंकी द्वारा मेरे काम के बदले मुझसे रिश्वत राशि 40,000 रूपये की मांग की गई और पूर्व में ही मुझसे रिश्वत राशि के 10,000 रूपये ले चुका है। उसके बाद भी अन्य राशि की मांग कर रहा है और मुझे कहा कि आप मुझे बाकी के रूपये दोगे तो ही आपका काम करूगा मैं पटवारी को रिश्वत नहीं देना नहीं चाहता वह उससे रिश्वत लेते हुए रंगे हाथो पकडवाना चाहता हूँ। पटवारी से ना ही मेरा कोई पुरा लेन–देन बकाया है ना ही कोई व्यक्तिगत रंजिश है।

अतः आप श्रीमान् कार्यवाही करवाना फरमावे।"

एसडी
श्री सुशील रावत

एसडी
श्री गिरवर आमेटा

प्रार्थी
एसडी
शंकरलाल पारगी
31.03.2022
मु. घाटीगडा पो. नागावाडा तहसील बागीदौरा
जिला बांसवाडा।

कार्यवाही पुलिस

दिनांक 31–3–2022 को श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डां. विक्रमसिंह, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चितौडगढ अतिरिक्त चार्ज प्रतापगढ के द्वारा श्री हरभजन सिंह कनिष्ठ सहायक, भ्र.निब्यूरो, प्रतापगढ को परिवादी श्री शंकरलाल पारगी के मोबाईल नम्बर 9950548005 देते हुए परिवादी से सम्पर्क कर परिवादी से प्रार्थना–पत्र प्राप्त कर अग्रिम रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता करने हेतु निर्देशित किये जाने पर श्री हरभजन सिंह कनिष्ठ सहायक दिनांक 31–3–2022 को समय 8.00 एएम पर ब्यूरो कार्यालय प्रतापगढ से मय डिजिटल टेप रिकॉर्डर के रवाना होकर समय करीब 10.00 ए.एम. पर बांसवाडा पहुंचकर परिवादी श्री शंकरलाल पारगी से जरिये मोबाईल वार्ता कर पटवार मण्डल नागावाडा तहसील बागीदौरा कार्यालय से कुछ दूरी पर पहले रूककर परिवादी से सम्पर्क किया तो परिवादी ने प्रार्थना–पत्र मय रजिस्ट्री की फोटोप्रति प्रस्तुत की जिसे श्री हरभजन सिंह कनिष्ठ सहायक ने प्राप्त कर अपने पास सुरक्षित रखा। तत्पश्चात् श्री हरभजन सिंह कनिष्ठ सहायक के द्वारा परिवादी को डिजिटल टेप रिकॉर्डर की संचालन की विधि को भलीभॉति समझाकर उक्त टेप रिकॉर्डर में आरोपी से होने वाली रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता को रिकॉर्ड करने हेतु पाबन्द किया। तत्पश्चात् परिवादी श्री शंकरलाल को टेप रिकॉर्डर चालू कर सुपुर्द कर मांग सत्यापन वार्ता

करने हेतु पटवार मण्डल नागावाडा की तरफ रवाना किया तथा श्री हरभजन सिंह कनिष्ठ सहायक आसपास रहकर परिवादी का इन्तजार करने लगा। समय करीब 01.34 पी.एम. पर परिवादी श्री शंकरलाल पटवार मण्डल से बाहर निकल कर श्री हरभजन सिंह कनिष्ठ सहायक के पास आया तथा टेप रिकॉर्डर सुपुर्द किया। जिससे श्री हरभजन सिंह कनिष्ठ सहायक के द्वारा बन्द कर सुरक्षित अपने पास रख लिया गया। तत्पश्चात् परिवादी ने श्री हरभजन सिंह कनिष्ठ सहायक को बताया था कि "मैने पटवारी परमेश सोलंकी से रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता कर ली है। मांग सत्यापन के दौरान मुझसे 2000 रूपये रिश्वती राशि आरोपी द्वारा ग्रहण की गई। इससे पूर्व भी 10,000 रूपये की राशि आरोपी द्वारा ग्रहण की गई थी जिसके बारे में भी पटवारी के द्वारा सहमति दी। आरोपी द्वारा कुल 40,000 रूपये रिश्वती राशि की मांग की गई है। जिसमें से 12,000 रूपये रिश्वती राशि आरोपी द्वारा प्राप्त कर ली गई है। शेष रिश्वती राशि 28,000 रूपये की और मांग की गई है तथा रिश्वती राशि देने पर ही मेरे जमीन का आबादी भूमि में समपरिवर्तन करवाने का बात कहीं गई है।" उपरोक्त हालात अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय को बताये थे। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री शंकरलाल पारगी से भी वार्ता कर रिश्वती राशि मांग सत्यापन के सम्बन्ध में पूछने पर परिवादी द्वारा आरोपी परमेश सोलंकी द्वारा रिश्वती राशि 28,000 रूपये की मांग करने के सम्बन्ध में बताया गया। तत्पश्चात् निर्देशानुसार परिवादी को रिश्वती राशि की व्यवस्था कर ब्यूरो चौकी प्रतापगढ़ पर उपस्थित होने पाबन्द कर रूखसत किया गया था। तत्पश्चात् श्री हरभजन सिंह कनिष्ठ सहायक के द्वारा ब्यूरों चौकी प्रतापगढ पहुंच उक्त टेप रिकॉर्डर एवं प्रार्थना–पत्र को कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रखा गया था। तत्पश्चात् परिवादी से कई बार सम्पर्क किया गया परन्तु परिवादी द्वारा राजकार्य में व्यस्त होने से उपस्थित होने में असमर्थता जाहिर की गई। दिनांक 18–5–22 को ब्यूरो इकाई प्रतापगढ पर व्यक्तिशः उपस्थित होकर बताया कि मैं राजकार्य से फारिक हो चुका हूँ। पूर्व में मेरे द्वारा दी गयी रिपोर्ट पर अग्रिम कार्यवाही कराना चाहता हूँ। जिस पर श्री हरभजन सिंह कनिष्ठ सहायक के द्वारा उच्चाधिकारियों को हालात से अवगत कराया।

तत्पश्चात श्री विक्रमसिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के अवकाश में होने से दिनांक 18–5–2022 को उच्चाधिकारी महोदय के द्वारा मन् पुलिस निरीक्षक को ब्यूरो चौकी प्रतापगढ पर पहुंचकर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही कराने हेतु निर्देशित किया गया। जिस पर दिनांक 18–5–2022 को ही मन् पुलिस निरीक्षक के द्वारा ब्यूरो चौकी प्रतापगढ के कानि श्री दिनेश को दो स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी को दिनांक 19–5–2022 को प्रातः ब्यूरो चौकी प्रतापगढ पर उपस्थित रहने की हिदायत दी गयी। तत्पश्चात दिनांक 19–5–2022 को मन् पुलिस निरीक्षक मय जाप्ता मुनीर मोहम्मद हैड कानि0, श्री टीकाराम कानि. एवं महिला कानि. श्रीमति निरमा मय प्राईवेट वाहन के ब्यूरो चौकी उदयपुर से रवाना होकर ब्यूरों चौकी प्रतापगढ पर पहुंचे। जहां पर पूर्व से पांबदशुदा श्री श्यामलाल हैड कानि, कानि. मानसिंह, कानि. सुनिल कुमार, ब्यूरो इकाई चितौडगढ एवं ब्यूरो चौकी प्रतापगढ का जाप्ता श्री दिनेश कमार कानि. श्री हरभजन सिंह कनिष्ठ सहायक व सूरजमल उपस्थित मिले। जहां पर श्री दिनेश कुमार कानि0 नम्बर 553 ने मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि श्रीमान् के निर्देशानुसार पाबन्दशुदा गवाहान एवं परिवादी ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित है जिस पर श्री दिनेश कुमार कानि0 को आदेशित किया कि दोनो स्वतन्त्र गवाहान एवं परिवादी को कार्यालय कक्ष में लेकर आवें जिस पर श्री दिनेश कुमार कानि0, दोनो स्वतन्त्र गवाहान एवं परिवादी को मन् पुलिस निरीक्षक

के कक्ष मे लेकर आया जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा दोनो स्वतन्त्र गवाहान एवं परिवादी को अपना परिचय देकर उनसे उनका परिचय पूछा तो दोनो स्वतन्त्र गवाहान ने अपना–अपना नाम क्रमशः श्री सुशील रावत पुत्र श्री कालुराम रावत जाती मीणा उम्र 41 साल निवासी स्कीम–5, भैरव विहार, प्रतापगढ, जिला प्रतापगढ हाल सहायक लेखाधिकारी, कार्यालय अजमेर विधुत वितरण निगम लिमिटेड (प.व.स.) प्रताषगढ जिला प्रतापगढ (राज) एवं श्री गिरवर आमेटा पिता श्री चन्द्रशेखर आमेटा उम्र 36 वर्ष जाति ब्राहमण निवासी खोरीया, तहसील प्रतापगढ, जिला प्रतापगढ हाल सहायक कार्मिक अधिकारी, कार्यालय अजमेर विद्युत वितरण नगर निगम लिमिटेड, अधीक्षण अभियंता प्रतापगढ होना बताया एवं परिवादी ने भी अपना नाम श्री शंकरलाल पारगी पिता श्री गौतम पारगी उम्र–32 वर्ष निवासी घाटीगड़ा पोस्ट नागावाडा तहसील बागीदौरा जिला बांसवाडा होना बताया था। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक के द्वारा दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री सुशील रावत एवं श्री गिरवर आमेटा से ट्रेप कार्यवाही मे बतौर स्वतन्त्र गवाहान उपस्थित रहने बाबत् सहमति चाही गई, जिस पर दोनो गवाहान ने अपनी–अपनी मोखिक सहमति व्यक्त की। तत्पश्चात् श्री दिनेश कुमार कानि0 ने कार्यालय की अलमारी में से दिनांक 31.03.2022 को परिवादी श्री शंकरलाल पारगी द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना–पत्र व रजिस्ट्री की फोटो प्रति एवं ब्यूरो कार्यालय प्रतापगढ का डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर पेश किये तथा श्री दिनेश कुमार कानि0 ने यह भी बताया कि उक्त डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर में दिनांक 31.03.2022 को परिवादी श्री शंकरलाल पारगी एवं आरोपी के मध्य हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता रिकॉर्ड है। इसके बाद परिवादी श्री शंकरलाल पारगी के प्रार्थना पत्र को दोनो स्वतन्त्र गवाहान एवं परिवादी के समक्ष पढकर सुनाया गया तो परिवादी ने गवाहान के समक्ष शब्द ब शब्द सही होना मान रिपोर्ट पर स्वयं के हस्ताक्षर एवं स्वंय की हस्तलिपि में अंकित होना बताया। उक्त रिपोर्ट पर दोनो स्वतन्त्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त प्रार्थना पत्र को दिनांक 31.03.2022 को ब्यूरों कार्यालय प्रतापगढ के श्री हरभजन सिंह कनिष्ठ सहायक को दिया तथा परिवादी ने बताया कि उक्त प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य सही है। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया तो प्रार्थना–पत्र में परिवादी ने अंकित किया कि "मैं प्रार्थी शंरकलाल पारगी पिता श्री गौतम पारगी निवासी घाटीगडा ग्राम पंचायत नागावाडा तहसील बागीदौरा जिला बासवाडा का निवासी हूँ। मेरे गॉव घाटीगडा में स्वयं की जमीन है जिसके आबादी रूपान्तरण के लिए मेरे द्वारा आवेदन पटवार मण्डल नागावाडा के पटवारी के समक्ष प्रस्तुत किया था। लेकिन काफी समय तक मेरी जमीन का आबादी रूपान्तरण नहीं होने की वजह से मुझ प्रार्थी ने पटवारी से सम्पर्क किया तो जिससे पटवारी परमेश सौलंकी द्वारा मेरे काम के बदले मुझसे रिश्वत राशि 40,000 रूपये की मांग की गई और पूर्व में ही मुझसे रिश्वत राशि के 10,000 रूपये ले चुका है। उसके बाद भी अन्य राशि की मांग कर रहा है और मुझे कहा कि आप मुझे बाकी के रूपये दोगे तो ही आपका काम करूगा मैं पटवारी को रिश्वत नहीं देना नहीं चाहता वह उससे रिश्वत लेते हुए रंगे हाथो पकडवाना चाहता हूँ। पटवारी से ना ही मेरा कोई पुरा लेन–देन बकाया है ना ही कोई व्यक्तिगत रंजिश है। अतः आप श्रीमान् कार्यवाही करवाना फरमावे।" मामला रिश्वत राशि मांग का सत्यापन पाया गया। श्री हरभजन सिंह कनिष्ठ सहायक ब्यूरों चौकी प्रतापगढ ने मन् पुलिस निरीक्षक को मांग सत्यापन के हालात बताये। इसके बाद कार्यालय के डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर को चलाकर परिवादी एवं दोनो स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष सुना गया तो रिश्वत राशि की मांग का सत्यापन होना पाया। उक्त वार्ता

के बारे में परिवादी ने एक आवाज अपनी स्वयं की तथा दूसरी आवाज श्री परमेश पटवारी की होना बताया। जिस मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा हालात उच्चाधिकारियों को निवेदन किये गये। तत्पश्चात समय करीब 9.30 ए.एम: पर मन् पुलिस निरीक्षक के द्वारा दिनांक 31.03.2022 को रिकॉर्ड हुई रिश्वत राशि की मांग सत्यापन वार्ता को परिवादी व दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर चालु करवाकर श्री हरभजन सिंह कनिष्ठ सहायक से फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार करवाई गई, जिस पर दोनों गवाहान, परिवादी एवं सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त वार्ता की मूल एवं डब सी.डी. लेपटॉप से तैयार करवाई जाकर मूल सी.डी. पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर सी.डी. को प्लास्टिक कवर मे रखकर प्लास्टीक कवर को सिलचिट किया जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये तथा डब सी.डी. पर भी सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर प्लास्टिक कवर मे रखी गई। उसके बाद मन् पुलिस निरीक्षक के द्वारा आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि परिवादी श्री शंकरलाल पारगी से मांगने पर परिवादी ने उपरोक्त स्वतंत्र गवाहों के समक्ष अपने पास से 500–500 रूपये के 56 नोट कुल 28,000 रूपये भारतीय चलन मुद्रा के प्रस्तुत किए। कार्यालय के मालखाना से फिनॉफ्थेलीन पाउडर की शीशी को श्री सुरजमल कानिस्टेबल नम्बर 247 से निकलवाई जाकर अखबार बिछाकर उपरोक्त समस्त नोटों के दोनों और फिनॉफ्थेलीन पाउडर श्री सुरजमल कानिस्टेबल नम्बर 247 से लगवाया जाकर परिवादी की पहनी हुई पेंट की दाहिनी जेब में कोई शैः न छोडते हुए रखवाये गए। श्री मान सिंह कानि. नं. 571 से एक साफ कॉच के गिलास में साफ पानी भरवाकर मंगवाया गया। जिसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवा कर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग, रंगहीन रहा। इस रंगहीन घोल में श्री सुरजमल कानिस्टेबल नम्बर 247 की हाथों की अंगुलियों व अंगुठे को डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार परिवादी तथा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष फिनॉफ्थेलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिकिया प्रदर्शित कर बताई एवं उसके मन्तव्य से अवगत कराते हुए बताया कि यदि आरोपी परिवादी से रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण करेगा तो नोटों पर लगा फिनॉफ्थेलीन पाउडर उसके हाथों की अंगुलियों व अंगुठे पर लग जाएगा, जिससे यह प्रमाणित होगा कि आरोपी ने रिश्वती राशि मांगकर अपने हाथों से ग्रहण की हैं। उक्त गुलाबी घोल को श्री सुरजमल कानिस्टेबल नम्बर 247 से फिकवाया गया एवं अखबार को जलाकर नष्ट किया गया तथा उपरोक्त कांच के गिलास को साफ पानी व साबुन से धुलवाये गए एवं उपस्थित गवाहान, जाप्ता श्री सुरजमल कानिस्टेबल नम्बर 247 व श्री मान सिंह के हाथों को साफ पानी व साबुन से अच्छी तरह धुलवाये गये। तत्पश्चात् परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि वह आरोपी के द्वारा रिश्वती राशि मांगने पर ही उसे देवे तथा रिश्वती राशि देने से पूर्व या देने के बाद उससे हाथ नही मिलावे तथा न ही उसके शरीर के किसी अंग को छुए। यदि अभिवादन की आवश्यकता हो तो दूर से हाथ जोडकर अभिवादन करें। परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि रिश्वती राशि देते समय जल्दबाजी व घबराहट का प्रदर्शन न करें, तथा रिश्वती राशि दे दिये जाने के बाद अपने सिर पर अपने दोनो हाथ फेर कर आरोपी को रिश्वत राशि दिये जाने का ईशारा करें। यह निर्धारित इशारा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों को समझाया गया। फिनोफथलीन पाउडर की शीशी को श्री सुरजमल कानिस्टेबल नम्बर 247 को सुपुर्द की जाकर मालखाने में सुरक्षित रखवाई जाकर कार्यालय में उपस्थित रहने की हिदायत दी जाकर ट्रेप कार्यवाही में प्रयुक्त होने वाली कांच की शीशीयॉ, गिलास,

ढक्कन, चम्मच इत्यादि को श्री मान सिंह कानि. से साफ पानी व साबुन से अच्छी तरह धुलवाये गए। तत्पश्चात गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों को यह भी हिदायत दी गई कि यथासंभव अपनी–अपनी उपस्थिति को छिपाते हुए परिवादी तथा आरोपी के मध्य रिश्वती राशि के लेन–देन को देखने व सुनने का प्रयास करे एवं परिवादी को डिजीटल टेप रिकार्डर के सम्बन्ध में समझाईश की गई कि वह रिश्वती राशि के लेन–देन के वक्त आरोपी से होने वाली वार्तालाप को टेप करें। परिवादी, स्वतंत्र गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। जिसकी फर्द पेशकशी पृथक से तैयार की गयी। परिवादी को मन् पुलिस निरीक्षक ने अपने मोबाईल नम्बर दिये। समय 11.05 एएम पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री शंकरलाल पारगी, श्री हेड कानि. श्री मुनीर मोहम्मद, श्री टीकाराम कानि., श्रीमती महिला कानि. निरमा एंव स्वतन्त्र गवाह श्री सुनील रावत मय प्राईवेट वाहन तथा श्री श्यामलाल हैड कानि., श्री मानसिंह कानि, सुनिल कुमार, श्री दिनेश कुमार, श्री हरभजन सिंह कनि. सहायक एवं स्वतन्त्र गवाहन श्री गिरवर आमेटा मय डिजिटल टेप रिकार्ड़र, लेपटोप, प्रिन्टर एवं ट्रेप बोक्स लेकर जरिये प्राईवेट वाहन एवं सरकारी वाहन के वास्ते ट्रेप कार्यवाही हेतु पटवार मण्डल नागावाडा तहसील बागीदौरा जिला बांसवाडा की तरफ रवाना होकर समय 01.15 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान के पटवार मण्डल नागावाडा से कुछ दूरी पहले पहुंचकर दोनो वाहनो का साईड में खडा कर परिवादी श्री शंकरलाल पारगी को डिजिटल टेप रिकार्डर सूपुर्द कर पटवार मण्डल नागावाडा के लिए रवाना करते हुए प्राईवेट वाहन व सरकारी वाहन को कुछ दूरी पर खडा कर मन् पुलिस निरीक्षक मय जाप्ता व स्वतन्त्र गवाह के अपनी उपस्थिती छिपाते हुए पटवार मण्डल के आसपास खडे होकर परिवादी के गोपनीय इशारे का इन्तजार करने लगे। जिसके कुछ देर बाद परिवादी श्री शंकरलाल पारगी पटवार मण्डल से वापस बाहर आकर मन् पुलिस निरीक्षक को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर पेश करते हुए बताया कि पटवार मण्डल नागावाडा पहुचा जहॉ पटवारी श्री परमेश उपस्थित नहीं मिले। आसपास मालूम करने पर पता चला कि पटवारी साहब सर्कल में गये हुए है वह घण्टे भर बाद पटवार मण्डल पर आयेंगे। जिस पर हम आसपास ही परमेश के इंतजार में रहे। तभी समय 2.45 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा गोपनीय मालूमात करने पर ज्ञात हुआ कि आरोपी श्री परमेश पटवारी अपने कार्यालय कक्ष में उपस्थित है। जिस पर परिवादी श्री शंकरलाल पारगी को पुनः डिजिटल टेप रिकार्डर सूपुर्द करते हुए पटवार मण्डल के लिए रवाना किया गया। मन् पुलिस निरीक्षक मय जाप्ता व स्वतन्त्र गवाह के अपनी उपस्थिती छिपाते हुए पटवार मण्डल के आसपास खडे होकर परिवादी के गोपनीय इशारे का इन्तजार करने लगे। समय 3.00 पीएम पर परिवादी श्री शंकरलाल पारगी पटवार मण्डल नागावाडा से बाहर आकर अपने सिर पर दोनों हाथ फेरकर पूर्व निर्धारित ईशारा किया। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक मय दोनो स्वतन्त्र गवाहान एवं ट्रेप पार्टी के सदस्य तेज–तेज कदमों से चलकर परिवादी के पास पहुचें। जहां पर परिवादी ने डिजिटल टेप रिकॉर्डर मन् पुलिस निरीक्षक को पेश की, जिसे मन् पुलिस निरीक्षक ने बन्द कर अपने पास सुरक्षित रखा गया। मन् पुलिस निरीक्षक को परिवादी ने बताया कि अभी–अभी श्री परमेश पटवारी ने मुझसे 28,000 रुपये मांग कर अपने हाथों में लेकर अपनी पहनी हुई पेंट की दाहिनी जेब में रखे है। जिस पर परिवादी को साथ लेकर उक्त आफिस कक्ष के अन्दर पहुचें तो अन्दर एक व्यक्ति उपस्थित मिला एवं एक व्यक्ति कार्यालय के बरामदे में बैंच पर बैठा हुआ मिला। जिसे मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा अपना व दोनों गवाहान तथा

ट्रेप पार्टी के सदस्यों का परिचय देते हुए अपने आने के मन्तव्य से अवगत कराया तथा उक्त पटवार मण्डल नागावाड़ा के कार्यालय कक्ष में कुर्सी पर बैठे व्यक्ति से उसका परिचय पूछा तो उसने अपना नाम श्री परमेश सोलकी पिता श्री वालेग सोलंकी उम्र–27 वर्ष निवासी गांव छीचं तहसील बागीदौरा जिला बांसवाडा हाल पटवारी पटवार मण्डल नागावाडा अतिरिक्त चार्ज नाल तहसील बागीदौरा जिला बांसवाडा होना बताया एवं कार्यालय के बरामदे में बैच बैठे हुए व्यक्ति से उसका परिचय पुछा गया तो उसने अपना नाम प्रदीप सिंह राठौड़, गिरदार, सर्कल बडौदिया होना बताया तथा पूछने पर राजकार्य से आना बताया। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने श्री परमेश सोलंकी से परिवादी की ओर ईशारा कर पूछा कि आपने अभी–अभी इससे 28,000 रूपये रिश्वत राशि मांग कर प्राप्त की है? जिस पर आरोपी श्री परमेश सोलंकी ने घबराते हुए कहा कि हाँ मैने इनसे पैसे लिये है, जो मेरी पहनी हुई पेंट की दाहिनी जेब में रखे है। जिस पर श्री परमेश सोलंकी से परिवादी श्री शंकरलाल से उक्त रिश्वत राशि किस कार्य के लिये ली है ? इस सम्बन्ध में पूछा तो श्री परमेश सोलंकी पटवारी ने बताया कि श्री शंकरलाल पारगी की घाटीगडा में स्थित कृषि भूमि को आबादी भूमि में समपरिवर्तन करने की एवज् में श्री शंकरलाल पारगी ने मुझे अभी जबरदस्ती दिये है जो मैने लेकर अपनी पहनी हुई पेन्ट की दाहिने जेब मे रखे है। जिस पर परिवादी श्री शंकरलाल ने आरोपी के उक्त तथ्य का खण्डन करते हुए बताया कि श्री परमेश पटवारी साहब ने मेरे से दिनांक 31.03.2022 पूर्व भी घाटीगडा में स्थित कृषि भूमि को आबादी भूमि में समपरिवर्तन करने की एवज् में कुल 40,000 रूपये की मांग करते हुए पूर्व में 10,000 रूपये रिश्वत राशि ली एवं दिनांक 31.03.2022 को रिश्वत राशि मांग सत्यापन के दौरान रिश्वत राशि 2000 मांग कर लिये थे तथा रिश्वती राशि की मांग अनुसार शेष रिश्वत राशि 28,000 रूपये मुझे से मांगकर इन्होने अपने हाथों में लेकर अपनी पहनी हुई पेंट की दाहिनी जेब में रख लिये है। इस पर आरोपी श्री परमेश ने घबराते हुए कहां कि साहब गलती हो गई है माफ कर दो तथा आरोपी द्वारा पूर्व में ग्रहण की गई रिश्वत राशि के बारे में पूछा तो उसने बोला कि वो तो खर्च हो गई है। तत्पश्चात् आरोपी श्री परमेश सोलंकी से पूछा की उक्त रिश्वती राशि उसके द्वारा अन्य किसी अधिकारी/कर्मचारी को देने के लिए ग्रहण की गई है उस पर आरोपी द्वारा बताया गया कि उक्त रिश्वती राशि मैने उच्चाधिकारियों के नाम से स्वय के लिए ग्रहण की है। इसके उपरान्त आरोपी द्वारा रिश्वत राशि ग्रहण करना स्वीकार करने के उपरान्त नियमानुसार हाथ धुलाई की कार्यवाही दोनो स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष प्रारम्भ करते हुए प्राईवेट वाहन में से ट्रेप बॉक्स को मंगवाया गया। ट्रेप बॉक्स में से दो कांच के साफ गिलास को निकलवाकर दोनो गिलासों में कार्यालय कक्ष में रखी पीने की मटकी में से साफ पानी भरवाकर इनमें एक–एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा, जिन्हे दोनो स्वतन्त्र गवाहन व हाजरीन को दिखाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित होना स्वीकार किया। एक कॉच की गिलास के घोल में आरोपी श्री परमेश सोलंकी पटवारी के दाहिने हाथ की अंगुलियो व अंगूठे को डुबोकर धुलवाई गई तो धोवन के घोल का रंग हल्का गुलाबी हुआ, जिसे हाजरीन ने स्वीकार किया। इस घोल को कॉच की दो साफ शिशियों में आधा–आधा भरवाकर बन्द करा मार्क आर.एच.–1 व आर.एच.–2 अंकित करा सिलचिट कर चिट व कपड़े पर दोनो गवाहान, परिवादी एवं आरोपी के हस्ताक्षर करवाये गये। इसी प्रकार आरोपी श्री परमेश सोलंकी पटवारी के बायें हाथ की अंगुलियो व अंगूठे को दूसरे कांच के गिलास के घोल में

डुबोकर धुलवाई गई तो धोवन के घोल का रंग हल्का गुलाबी हुआ, जिसे हाजरीन ने भी स्वीकार किया। इस हल्के गुलाबी घोल को कॉच की दो साफ शिशियों में आधा–आधा भरवाकर बन्द करा मार्क एल.एच.–1 व एल.एच.–2 अंकित करा सिलचिट कर चिट व कपड़े पर दोनो गवाहान एवं परिवादी एवं आरोपी के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके उपरान्त मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा स्वतन्त्र गवाह श्री सुशील रावत से आरोपी की जामा तलाशी लिवाई गई तो गवाह श्री सुशील रावत ने आरोपी की पहनी हुई पेन्ट के आगे की दाहिनी जेब में से 500–500 रूपये के नोट निकालकर पेश किये। जिनको दोनो स्वतन्त्र गवाहन से गिनवाये गये तो कुल 56 नोट कुल 28,000 रूपये रिश्वत राशि बरामद हुई, उक्त राशि का मिलान दोनो गवाहान से पूर्व मे तैयार की गई फर्द पेशकशी नोट से करवाया गया तो दोनो गवाहान ने नोटो के नम्बर हुबहु होना बताया। इसके उपरान्त उक्त बरामदशुदा रिश्वत राशि के नोटो पर सफेद कागज मे सिलचिट कर दोनो गवाहान, परिवादी एवं आरोपी के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ब्यूरो लिये गये। आरोपी द्वारा रिश्वत राशि ग्रहण करने के उपरान्त अपनी पहनी हुई पेन्ट बंरग काली जिसकी आगे की दाहिनी जेब नें रिश्वत राशि को रखने से उक्त पेंट की दाहिनी जेब का धोवन लिया जाना आवश्यक होने से आरोपी का दूसरा पेंट मंगवाकर आरोपी की पहनी हुई पेंट का ससम्मान उतरवाकर दूसरी पेंट पहनाई गई। इसके उपरान्त ट्रेप बॉक्स में से एक कांच का साफ गिलास निकलवाकर उक्त साफ गिलास में कार्यालय कक्ष में रखी पीने की मटकी से साफ पानी भरवाकर इसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा, जिसे उपस्थितिन ने स्वीकार किया। इसके उपरान्त उक्त पहनी हुई पेंट की आगे की दाहिनी जेब जिसमें उक्त रिश्वती राशि बरामद हुई को उलटवाकर उक्त रंगहीन घोल में डूंबोकर धुलवायी गयी तो उक्त घोल का रंग मटमेला गुलाबी हो गया। उक्त घोल को दो कांच की साफ शिशियों मे आधा–आधा भरवाकर बन्द करा मार्क पी–1 व पी–2 अंकित करा सिलचिट कर चिट व कपड़े पर दोनो गवाहान एवं परिवादी, आरोपी के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके उपरान्त पेंट की दाहिनी जेब को सुखावाकर दोनो गवाहान व सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करा पेंट का वजह सबूत जप्त कर कपडे की थैली में रखकर सिलचिट करा कपडे की थेली पर भी दोनो गवाहान व सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त कार्यवाही की पृथक से फर्द मुर्तिब की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा दोनो स्वतन्त्र गवाहन के समक्ष परिवादी श्री शंकरलाल पारगी व आरोपी श्री परमेश सोंलकी पटवारी की निशादेही से फर्द नक्शा मौका घटना स्थल मौका निरीक्षण कर फर्द घटना स्थल नक्शा मोका पृथक से तैयार कर शामिल कार्यवाही किया गया। पटवार मण्डल नागावाडा मे बैठने एवं बिजली व्यवस्था नहीं होने से मन् पुलिस निरीक्षक मय परिवादी, स्वतन्त्र गवाह एवं डिटेनशुदा आरोपी श्री परमेश सोंलकी पटवारी, जप्तशुदा रिश्वत राशि व जप्तशुदा मालखाना ऑर्टिकल, लेपटॉप, प्रिन्टर, ट्रेप बाक्स के अग्रिम कार्यवाही हेतु पुलिस थाना कंलिजरा के लिए रवाना हुए एवं परिवादी श्री शंकरलाल पारगी की कृषि भूमि का आबादी भूमि में सम्परिवर्तन संबंधित दस्तावेजो की सत्यापित प्रतिलिपि की आवश्यकता होने से जरिये मोबाईल तहसीलदार बागीदौरा श्री गोपाललाल मेघवाल को पुलिस थाना कंलिजरा पर पेश करने हेतु पाबन्द किया गया। समय 4.40 पी.एम. पर पुलिस थाना कंलिजरा पहुच अग्रिम ट्रेप कार्यवाही प्रारम्भ की गई। परिवादी द्वारा पेश की गई डिजिटल टेप रिकार्डर जिसमें रिश्वती राशि के लेनदेन के सम्बन्ध में परिवादी व आरोपी के मध्य हुई वार्ता को

रिकॉर्ड किया गया था, समय 05.00. पी.एम. पर उक्त डिजिटल टेप रिकॉर्डर को लेपटॉप से कनेक्ट कर रिकॉर्डशुदा वार्ता को सुना गया एवं गवाहान को भी सुनाया गया तो आरोपी द्वारा रिश्वत राशि लेनदेन की पुष्टि होना पाया गया। रिकॉर्डशुदा वार्ता की फर्द ट्रान्सस्क्रिप्ट पृथक से मूर्तिब की जाकर दोनों गवाहान एवं आरोपी व परिवादी के हस्ताक्षर करवाये गये। उपस्थितिन के समक्ष ही रिश्वती राशि के लेनदेन के सम्बन्ध मे आरोपी व परिवादी के मध्य हुई उपरोक्त वार्ता परिवादी तथा आरोपी को चलाकर सुनाई गई.तो अपनी–अपनी आवाज होना स्वीकार किया। उक्त वार्ता की मूल एवं डब सी.डी. लेपटॉप से तैयार करवाई जाकर मूल सी.डी. पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर सी.डी. को प्लास्टिक कवर मे रखकर प्लास्टीक कवर को सिलचिट किया जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये तथा डब सी.डी. पर भी सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर प्लास्टिक कवर मे रखी गई। तत्पश्चात ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकार्डर में लगे हुए मूल मेमोरी कार्ड को भी मेमोरी कार्ड के कवर में रखकर एक कपडे की थेली मे रख सिलचिट कर सम्बन्धितो के हस्ताक्षर करा कब्जे ब्यूरो लिया गया। जिसकी फर्द पृथक से मूर्तिब की गयी। डिजिटल टेप रिकॉर्डर को सुरक्षित ट्रेप बॉक्स में रखवाया गया। तत्पश्चात तहसीलदार बागीदौरा श्री गोपाललाल मेघवाल उपस्थित होकर परिवादी श्री शंकरलाल पारगी के कृषि भूमि को आबादी भूमि में समपरिवर्तन से सम्बन्धित रिकार्ड की सत्यापित प्रतियॉ प्रस्तुत की गई। जिस पर परिवादी, दोनो स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल कार्यवाही किया। तत्पश्चात आरोपी श्री परमेश सोलंकी पटवारी के गांव छींच स्थित रिहायशी आवास पर पहुंच नियमानुसार खानातलाशी ली जाकर जरिये फर्द खाना तलाशी पृधक से मुर्तिब की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 7.15 पीएम पर आरोपी श्री परमेश सोंलकी पिता श्री वालेग सोलंकी उम्र–27 वर्ष निवासी गांव छीच तहसील बागीदौरा जिला बांसवाडा हाल पटवारी पटवार मण्डल नागावाडा तहसील बागीदौरा जिला बासवाडा अतिरिक्त चार्ज नाल तहसील बागीदौरा जिला बासवाडा के विरूद्व जुर्म धारा 7 संशोधित पी.सी. एक्ट (2018) का अपराध प्रमाणित होने से उसके द्वारा किये गये जूर्म से आगाह कर जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक के द्वारा आरोपी श्री परमेश सोलकी पटवारी को अपनी आवाज का नमूना एवं अपना स्पष्टीकरण देने हेतु पत्र क्रमांक एसपीएल–1 दिनांक 19.05.2022 दिया गया। आरोपी द्वारा उक्त मूल पत्र पर ही अपनी आवाज का नमूना नही देने बाबत् अंकित किया तथा अपना स्पष्टीकरण बरवक्त न्यायालय में पेश करने हेतु प्रतियुत्तर लिखित में पेश किया गया। बाद संपूर्ण ट्रेप कार्यवाही दिनांक 20–5–22 को समय 1.15 एएम पर मन् पुलिस निरीक्षक के द्वारा श्री श्यामलाल हैड कानि., श्री मानसिंह कानि. श्री सुनील कानि. मय वाहन चालक जयराम जी ब्यूरों चौकी चित्तौडगढ़ तथा श्री हरभजन कनिष्ठ सहायक; श्री दिनेश कुमार कानि. एवं स्वतन्त्र गवाह श्री सुशील रावत एवं श्री गिरवर आमेटा मय सरकारी वाहन चालक को मुनासिब हिदायत देकर ब्यूरों चौकी प्रतापगढ के लिए रवाना किया गया तथा परिवादी श्री शंकरलाल पारगी को बाद कार्यवाही मौके से रूकसत कर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान जाप्ता श्री मुनीर मोहम्मद हैड कानि. श्री टीकाराम कानि. एवं महिला कानि. श्रीमती निरमा एवं गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री परमेश सोलंकी पटवारी .एवं जप्तशुदा मालखाना आर्टीकल मय लेपटॉप, प्रिन्टर, डिजिटल टेप रिकार्डर एवं प्राईवेट वाहन मय चालक ब्यूरों चौकी उदयपुर के लिए रवाना होकर पुलिस थाना भूपालपुरा उदयपुर पहुंच आरोपी श्री परमेश सोलंकी को हवालात हेतु संभलाकर ब्यूरो इकाई उदयपुर पहुंच जप्तशुदा मालखाना आर्टिक्लस हैड

कानि. श्री मुनीर मोहम्मद को जमा करवाया गया। तत्पश्चात आरोपी श्री परमेश सोलंकी को पुलिस थाना भूपालपुरा से प्राप्त कर आरोपी का 15 योम जे.सी. रिमाण्ड स्वीकृत कराने हेतु माननीय न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर के लिए रवाना हुआ। जहां पर माननीय न्यायालय से आरोपी श्री परमेश सोलंकी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजने का आदेश प्रदान किया। जिस पर माननीय न्यायालय से जे.सी. वारण्ट प्राप्त कर आरोपी श्री परमेश सोलंकी को केन्द्रीय कारागृह उदयपुर में जमा कराकर प्राप्ति रसीद प्राप्त की गई।

इस प्रकार अब तक की कार्यवाही से पाया गया कि परिवादी श्री शंकरलाल पारगी निवासी घाटीगडा पटवार हलका नागावाडा तहसील बागीदौरा जिला बांसवाडा की कृषि भूमि को आबादी भूमि में सम्परिवर्तन करने की एवज में आरोपी श्री परमेश सोलंकी, पटवारी, पटवार मण्डल नागावाडा तहसील बागीदौरा जिला बांसवाडा के द्वारा दिनांक 31–3–2022 को मांग सत्यापन के दौरान आरोपी श्री परमेश सोलंकी के द्वारा परिवादी से 40,000 रूपये रिश्वत राशि की मांग की गई। मांग सत्यापन वार्ता में आरोपी श्री परमेश सोलंकी ने परिवादी से पूर्व में ली गई 10,000 रूप्ये रिश्वती राशि ग्रहण करने की स्वीकारोक्ति की गई एवं दौराने मांग सत्यापन 2,000 रूप्ये रिश्वत राशि परिवादी से मांगकर ग्रहण की और शेष रिश्वत राशि 28,000 रूपये और लाने की मांग की। दिनांक 19–5–22 को ट्रेप कार्यवाही के दौरान परिवादी श्री शंकरलाल पारगी से 28,000 रूपये रिश्वत राशि मांगकर अपने दोनो हाथों से ग्रहण करने के पश्चात अपनी पहनी हुई पेंट की आगे की दाहिनी जेब में रखने पर रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया।

इस प्रकार आरोपी श्री परमेश सोलंकी, पटवारी, पटवार मण्डल नागावाडा तहसील बागीदौरा जिला बांसवाडा के द्वारा एक लोकसेवक होते हुये अपने वैद्य पारिश्रमिक के अलावा पदीय कार्य करने में भ्रष्ट एवं अवैध तरीके से परिवादी श्री शंकरलाल से दिनांक 31–3–2022 को हुई मांग सत्यापन वार्ता में आरोपी श्री परमेश सोलंकी ने परिवादी से पूर्व में ली गई 10,000 रूप्ये रिश्वती राशि ग्रहण करने की स्वीकारोक्ति करना एवं दौराने मांग सत्यापन 2,000 रूप्ये रिश्वत राशि परिवादी से मांगकर ग्रहण करना और शेष रिश्वत राशि 28,000 रूपये और लाने की मांग करना पाया गया। दिनांक 19–5–22 को ट्रेप कार्यवाही के दौरान परिवादी श्री शंकरलाल पारगी से 28,000 रूपये रिश्वत राशि मांगकर ग्रहण करना प्रथम दृष्टया जुर्म धारा 7 पी.सी.(संशोधित) एक्ट 2018 के तहत प्रमाणित है।

अतः आरोपी श्री परमेश सोलंकी, पटवारी, पटवार मण्डल नागावाडा तहसील बागीदौरा जिला बांसवाडा के विरूद्व अन्तर्गत धारा 7 पी.सी. (संशोधित) एक्ट 2018 में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन हेतु श्रीमान् की सेवामें सादर प्रेषित है।

भवदीय

(डॉ सोनू शेखावत)
पुलिस निरीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों
उदयपुर कैम्प प्रतापगढ

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट डॉ. सोनू शेखावत, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, प्रतापगढ़ ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में अभियुक्त श्री परमेश सोलंकी, पटवारी, पटवार मण्डल नागावाडा तहसील बागीदौरा जिला बांसवाड़ा के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 197/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

20.5.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

कमांक 1740-44 दिनांक 20.5.2022

प्रतिलिपिः- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, बांसवाड़ा।
4. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, प्रतापगढ़।

20.5.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।